आर.ई.ओ.–129

जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० सामान्य/प्रे० 2482 जोधपुर, दिनांक 5/12/06

# आदेश

**विषयः– कृषि कनेक्शन को बढे हुए भार वृद्वि को माप कर नियमित करके बिलिंग करने बाबत।**

*****

समन्वय समिति की दिनांक 22/23.11.2006 को आयोजित 98 वीं बैठक में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा पारित आदेश संख्या 2165 दिनांक 4.11.2006 पर विस्तृत चर्चा के पश्चात अनुमोदन करते हुए कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 18.09.2004) के बिन्दु संख्या 23 (स्वीकृत भार बढाना) के भाग (I) एवं (III) में आंशिक संशोधन कर निम्न निर्णय लिया गया है कि :–

निगम के पवस (O&M) एवं सतर्कता शाखा के सहायक एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं कों निर्देश दिये जाते है कि, वे अपने क्षेत्र के सभी कृषि उपभोक्ता का लोढ़ चेक करें एवं स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर :–

1. बिना वीसीआर (VCR) या चेकिंग रिपोर्ट भरे उपभोक्ता को अनाधिकृत भार की लिखित में सूचना दी जाए एवं बिना कोई पेनल्टी राशि लिए, उसे नियमित किया जावे तथा निगम नियमानुसार धरोहर राशि (Security) ली जावे एवं तदानुसार बिलिंग शुरू की जाए।

2. जो उपभोक्ता एक कनेक्शन पर दो मोटरे एक ही खसरे में चलाते हैं वहां पर भी अनाधिकृत भार वृद्धि पाये जाने पर बिना कोई पेनल्टी राशि लिए कृषि नीति वर्ष 2004 (संशोधित 18.09.2004) बिन्दु संख्या 23 (iii) के अनुसार राशि लेकर भार वृद्धि नियमन किया जावे एवं तदानुसार बिलिंग शुरू कर दी जाए।

Contd. P/2nd .....